दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

ज़मानत आवेदन 1982/2021

निर्णय की तिथिः- 20/01/2022

निम्न मामले मेः-

समर ....याचिकाकर्ता

द्वारा: कोई नहीं।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री संजय लाओ, स्थायी अधिवक्ता सह श्री हिरेन शर्मा, राज्य के अति.लो.अभि. सह श्री हरेंद्र के. सिंह, डीसीपी (लीगल), पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, श्री परमिंदर, डीसीपी आउटर व महिला/उप.नि. बीरमती यादव, थाना एस.आर. रेलवे।

सुश्री ऐश्वर्या राव व सुश्री मानसी राव, अभियोक्त्री की अधिवक्तागण।

सुश्री नीलम नारंग, अतिरिक्त लो.अभि./प्रभारी रेप क्राइसिस सेल,

दिल्ली महिला आयोग।

<u>कोरम:</u>

<u>माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी</u>

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी (मौखिक)</u>

1. बार-बार, इस न्यायालय को यह उल्लेख करने के लिए विवश किया गया है कि उन मामलों में जहां ज़मानत मांगी जाती है, इस संबंध में विशिष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य की ओर से स्थिति आख्या समय पर दाखिल नहीं की जाती है। यहां तक कि यदि दाखिल कर दी जाती है, तो भी आख्या प्रायः बिना तारीख के होती है और अभियुक्त के पूर्ववृत्त सहित मामले के तात्विक पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया होता है। इसलिए, हालांकि वर्तमान मामले में ज़मानत के लिए प्रार्थना का निपटान किया गया, परंतु उपरोक्त मुद्दों पर राज्य से सुझाव मांगने के लिए आवेदन को लंबित रखा गया था।

2. दिनांक 17.12.2021 को संयुक्त पुलिस आयुक्त (विधि प्रभाग), *श्री एन.एस. बुंदेला* वी.सी. के माध्यम से उपस्थित हुए और कहा कि

न्यायालय में स्थिति आख्या(एं) दाखिल करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विभाग द्वारा ध्यान दिया गया था और सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे ताकि संबंधित थाना प्रभारियों/जांच अधिकारियों को सभी आवश्यक जानकारी के साथ-साथ आरोपी के पूर्ववृत्त वाली विस्तृत स्थिति आख्या समय पर दाखिल करने के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

3. *श्री राजेश देव,* पुलिस उपायुक्त, विधि प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली के हस्ताक्षर युक्त एक शपथपत्र अभिलेख पर रखा गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 05.08.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस उपायुक्तगण/जिलों/जांच इकाइयों के साथ-साथ विद्वान स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक एवं सिविल/अति.लो.अभि./अति.स्था.अधि. शामिल हुए थे। उक्त बैठक के कार्यवृत्त भी अभिलेख पर रखे गए हैं, जिनके अनुसार हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया गया था तथा उन्हें अंगीकार किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि दिल्ली के सभी जिलों/इकाइयों को 30.01.2021 दिनांकित एक कार्यालय आदेश संख्या 4014-

40/लीगल सेल/पीएचक्यू जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि स्थिति आख्या दाखिल करने में देरी से बचने के लिए, ज़मानत आवेदनों के प्रारूप उत्तरों को कम से कम 3-4 दिन पहले संबंधित अधिवक्तागण को भेजा जाना चाहिए ताकि वे इसकी जांच कर सकें। आदेश में यह भी कहा गया था कि विधिवत हस्ताक्षरित, जांचा गया न्याय संगत उत्तर कम से कम दो दिन पहले संबंधित सरकारी अधिवक्ता को अग्रेषित किया जाए, ताकि इसे समय पर न्यायालय में दाखिल किया जा सके।

4. स्थिति आख्या दाखिल करने की प्रक्रिया को और कारगर बनाने के लिए पुलिस उपायुक्त, विधि प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली को एक अन्य 08.09.2021 दिनांकित कार्यालय आदेश सं. 73/एस/एचसी/21/6074-94/कोर्ट सेल (डीए-।।।)/पीएचक्यू जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, इस आशय का एक निर्देश जारी किया गया है कि सहायक पुलिस आयुक्तगण/कानूनी प्रकोष्ठ, जिलें/जांच इकाइयां अपने संबंधित जिलों/इकाइयों की स्थिति आख्याओं, जिन्हें न्यायालयों में दाखिल किया जाना है, से संबंधित एक रजिस्टर अपने कार्यालयों में रखेंगे। यह कहा गया है कि ये

प्राधिकारी न्यायालयों के समक्ष समय पर स्थिति आख्या दाखिल करना सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों की स्थिति की निगरानी करेंगे।

स्थिति आख्याएं, जो सही नहीं हैं, को दाखिल करने के मुद्दे पर आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारियों द्वारा तैयार की गई सभी स्थिति आख्याओं की न्यायालयों के समक्ष दाखिल करने से पहले जिला/जांच इकाई के पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त द्वारा विधिवत जांच की जानी चाहिए।

5. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. प्रस्तुत करते हैं कि पुलिस उपायुक्त, विधि प्रभाग, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली का एक अतिरिक्त शपथपत्र भी अभिलेख पर रखा गया है। उक्त शपथपत्र में यह कहा गया है कि सभी पुलिस उपायुक्तगण जिला/इकाई को सहायक पुलिस आयुक्तगण/थाना प्रभारीगण/जांच अधिकारियों को यह निर्देश देने की हिदायत दी गई है कि (i) स्थिति आख्याएं समय से दाखिल की जाएं, (ii) स्थिति आख्याएं तैयार करते समय, मामले में आरोपी की भूमिका, आरोपी के खिलाफ साक्ष्य और आरोपी की पूर्व संलिप्तता को शामिल किया जाना चाहिए और 35 बिंदुओं, जैसा कि

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा **1992 एससीसी ऑनलाइन गुज 16** के रूप में प्रकाशित ठाकोर लक्ष्मणजी उर्फ़ अंगी राजूजी बनाम गुजरात राज्य में में बताया गया है, को ज़मानत आवेदन का विरोध करने के लिए स्थिति आख्या को दाखिल करते समय जहां तक संभव हो शामिल किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त शपथपत्र में, पुलिस उपायुक्त, विधि प्रभाग, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2022 का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार स्थिति आख्याओं को ठाकोर लक्ष्मण जी (सुप्रा) के निर्णय के अनुरूप दाखिल करना आवश्यक है। उक्त परिपत्र में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 26.11.2020 को **2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 607** के रूप में प्रकाशित मोहम्मद दानिश बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) में पारित आदेश में निहित टिप्पणियों का उल्लेख भी किया गया है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय के मामलों की *पैरवी* के संबंध में जारी स्थायी आदेश संख्या 73/2007 की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है, जो इस प्रकार हैः -

"ख. उच्च न्यायालय

...दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन निम्नलिखित मामले दिल्ली पुलिस से संबंधित हैं -

xxx

(ख) अग्रिम ज़मानत या नियमित ज़मानत की प्रकृति के ज़मानत मामले।

xxx

*स्थायी अधिवक्ता के साथ तैनात दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दिल्ली पुलिस के मामलों का बचाव किया जाए और कोई भी आदेश एकपक्षीय (**Ex Parte**) रूप से पारित न हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि थाना और थानाध्यक्ष/अतिरिक्त थानाध्यक्ष/निरीक्षक (जांच) को समय पर जानकारी दी जाए और न केवल सुनवाई की तारीख से एक या दो दिन पहले। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों की रक्षा करने में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए स्थायी अधिवक्ताओं के साथ तैनात हैं। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि रिट याचिकाओं में जवाब की अग्रिम प्रतियां समय पर न्यायालय में जमा की जाएं ताकि माननीय न्यायालय एकपक्षीय रूप से कोई टिप्पणी पारित न करें।"*

7. उन्होंने न्यायालय वादों के निपटान की प्रक्रिया को रेखांकित करने वाले स्थायी आदेश संख्या 65/2015 का भी उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया हैः

*" (ग) **<u>कार्यालयों और शाखाओं के प्रमुखों द्वारा वादों, पुनरीक्षणों, शिकायत मामलों, ज़मानत मामलों, आवेदनों, नोटिसों आदि का प्रबंधन</u>***

वादों, पुनरीक्षणों, शिकायत मामलों, ज़मानत मामलों, आवेदनों और अन्य मामलों के नोटिस प्राप्त होने पर, पुलिस मुख्यालय उसे जिला/इकाई प्रमुख को भेजेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि आख्या/टिप्पणियां विधि प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय को शीघ्रता से प्रस्तुत की जाएं, विशेष रूप से उन आपराधिक/दीवानी मामलों में जिनमें माननीय न्यायालयों ने कठोर/प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और विशेष रूप से पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कार्रवाई की आख्या/अनुपालन आख्या दाखिल करने के लिए कहा/निर्देशित किया है।

जिला/इकाई में विधि प्रकोष्ठ/पुलिस मुख्यालय से प्राप्त इस तरह के संदर्भों की निगरानी के लिए, सभी अतिरिक्त पुलिस आयुक्तगण/जिला पुलिस उपायुक्तगण/इकाई साप्ताहिक आधार पर इस तरह के संदर्भों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अपने संबंधित विधि प्रकोष्ठ और सहायक पुलिस आयुक्तगण उप-प्रभाग/डीआईयू/विशेष कर्मचारियों आदि से समय-समय पर रिपोर्ट मांगकर प्रत्येक जिले/इकाई में एक प्रणाली विकसित करेंगे।"

8. उच्च न्यायालय के मामलों की निगरानी के संबंध में पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र संख्या

28/2011 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें से प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं-

"प्रायः अंतिम समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उनके हस्ताक्षर के लिए मसौदा उत्तर/शपथपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जब समय की कमी के कारण स्थायी अधिवक्ता आदि के परामर्श से इसे फिर से तैयार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले शपथपत्रों को डीसीपी/मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित समीक्षा के लिए मामले के तथ्यों से अच्छी तरह अवगत किसी अधिकारी द्वारा कम से कम 7 दिन पहले पुलिस मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं कि शपथपत्रो को पुलिस मुख्यालय को भेजे जाने से पहले जिला/इकाई में वरिष्ठ स्तर पर उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय प्रकोष्ठ (सी एंड टी शाखा), पुलिस मुख्यालय में संबंधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त के शुद्धता प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्रप्रस्तुत करेंगे। जिला/इकाई अतिरिक्त पुलिस आयुक्तागण/पुलिस उपायुक्तगण व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि तथ्यों से अच्छी तरह अवगत एक जिम्मेदार अधिकारी को हमेशा न्यायालयों/पुलिस मुख्यालय में मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से उचित कार्रवाई और हस्ताक्षर के लिए मसौदा शपथपत्रों को पुलिस मुख्यालय में सरकारी अधिवक्ता द्वारा पहले से ही विधिवत जांच करा कर प्रस्तुत किए जाएं।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शपथपत्र/स्थिति आख्या सुनवाई के लिए पहले से निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले दाखिल की जाए, सिवाय जब तक कि कोई विशिष्ट समय/अवधि न दी गई हो। कभी-कभी स्थिति आख्या में ऐसी गिरफ्तारी/मकबूज़गी संबंधी फर्द का कोई उल्लेख नहीं होता है, जिसे अभियुक्त को तुरंत दिए जाने की आवश्यकता है। यदि स्थिति आख्या की विषयवस्तु गोपनीय है और उसके खुलासे से मामले की जांच प्रभावित होगी तो स्थिति आख्या सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी।

xxx

...सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को जब भी बुलाया जाए, न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। थाना प्रभारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पुलिस थानों से संबंधित न्यायालय वादों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाए। पैरवी/नोडल अधिकारी, जो मामले के तथ्यों से भली-भांति परिचित हों, अपने सरकारी अधिवक्ता के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे, उन्हें सूचित करने के लिए और यह भी देखने के लिए कि उत्तर समय पर न्यायालय में दाखिल किए जाएं। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालयों को किसी भी मामले में किसी एक पुलिस अधिकारी की शिथिलता के कारण पुलिस के

कामकाज पर प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई अवसर न मिले।

9. चूंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पवित्र है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने **(2011) 1 एससीसी 694** के रूप में प्रकाशित <u>सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य</u> में अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में न्यायालयों की भूमिका को, इसे समाज के हित के साथ संतुलित करते हुए, निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया है: -

"3. समाज का ज़मानत मंजूर करने या ज़मानत से इंकार करने में महत्वपूर्ण हित है क्योंकि प्रत्येक दांडिक अपराध राज्य के विरुद्ध अपराध है। ज़मानत मंजूर करने या इनकार करने वाले आदेश को परस्पर विरोधी हितों, अर्थात् व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता और समाज के हित के बीच पूर्ण संतुलन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ज़मानत की विधि दो परस्पर विरोधी हितों को जोड़ती है,अर्थात, एक ओर, अपराध करने वालों के खतरों से समाज को बचाने की

अपेक्षाएं और ज़मानत पर एक ही अपराध को दोहराने की संभाव्यता और दूसरी ओर जब तक वह दोषी नहीं पाया जाता है तब तक अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा के संबंध में आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत का पूर्ण पालन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता।

xxx

93. ...ज़मानत आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालयों को आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत, कि सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जब तक वह दोषी नहीं पाया जाता है निर्दोष समझा जाता है, का पालन करते हुए समाज के हित के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

xxx

96. न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे मामले के तथ्यों का सावधानीपूर्वक और सूक्ष्म सटीकता के साथ मूल्यांकन करें। विवेकाधिकार का प्रयोग उपलब्ध सामग्री और विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां अदालत का विचारित मत है कि आरोपी जांच में शामिल हुआ है और वह जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और उसके फरार होने की संभावना नहीं है, ऐसी स्थिति में, हिरासत में पूछताछ से बचा जाना चाहिए।"

10. यह कहना पर्याप्त होगा कि न्यायालयों के पास कानून द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का कार्य होने के साथ ही एक अभियुक्त की ज़मानत स्वीकार करने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी भी है। तथापि, इस कवायद के पीछे के प्रयोजन के विफल होने की संभावना है यदि अभियुक्त को केवल इस कारण जेल में डाला जाता है कि राज्य स्थिति आख्याओं के माध्यम से न्यायालयों को सुसंगत कारकों से अवगत कराने के लिए समयबद्ध प्रयास नहीं करता है। इस न्यायालय की राय में, यह मुद्दा सर्वोच्च महत्व का है क्योंकि यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज का हित है जो दांव पर है, और इसके तत्काल निवारण की आवश्यकता है।

11. *श्री हरेंद्र के. सिंह,* पुलिस उपायुक्त (विधि), पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और *श्री परमिंदर,* पुलिस उपायुक्त (आउटर) ने आज न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि मामले के तथ्यों के साथ-साथ अभियुक्त के पूर्ववृत्त के

बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाली स्थिति आख्या को समय पर दाखिल करने में आगे कोई चूक न हो।

12. पूर्वोक्त स्थायी आदेशों और परिपत्रों; अभिलेख पर रखे गए शपथपत्रों; और राज्य की ओर से दिए गए आश्वासन, को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में आगे किसी आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(मनोज कुमार ओहरी)
न्यायाधीश

20 जनवरी, 2022/वी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*